

अध्याय 3
उद्योग और वाणिज्य

अध्याय 3

उद्योग और वाणिज्य

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.1 विस्तार फीस में अनुचित कमी

कंपनी ने भवन निर्माण के लिए अनुमत समय अवधि से अधिक विस्तार देकर ₹ 57.77 करोड़ से अधिक का अनुचित लाभ दिया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने प्लॉट की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा जारी प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विरुद्ध नीलामी (अप्रैल 2010) के माध्यम से एक आबंटी¹ को सेक्टर 16, गुरुग्राम में 12.88 एकड़ (संशोधित 12.20 एकड़) का व्यावसायिक प्लॉट ₹ 587.56 करोड़ में आबंटित किया (11 जून 2010)।

आबंटन/प्रस्ताव हेतु अनुरोध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, आबंटी को आबंटन की तिथि से पांच वर्षों के भीतर निर्माण पूर्ण करना अपेक्षित था। लागू विस्तार फीस के भुगतान पर निर्माण पूर्ण करने की समय अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के किसी भी निबंधन एवं शर्त की चूक या उल्लंघन होने पर परियोजना साइट को पुनरारंभ² किया जाना था। कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 की धारा 18.6 (i)(बी) निर्धारित करती है कि प्रस्ताव हेतु अनुरोधों के आधार पर नीलाम की गई साइटें संबंधित नीलामी के निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगी और संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 18.6 (ए) में प्रदान की गई पांच वर्षों की विस्तार अवधि ऐसी साइटों के लिए लागू नहीं होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उन सभी आबंटियों को एक वर्ष का सामान्य विस्तार प्रदान किया (अक्टूबर 2020), जिनकी परियोजना कार्यान्वयन/पूर्णता के लिए निर्धारित/विस्तारित अवधि कोविड-19 महामारी के कारण किसी विस्तार फीस के बिना 31 दिसंबर 2019 के बाद समाप्त हो चुकी थी।

आबंटी पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् 10 जून 2015 तक निर्माण को पूर्ण करने में विफल रहा और कंपनी ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध की धारा 5.4 के अनुसार लागू विस्तार फीस के भुगतान पर 10 जून 2017 तक दो वर्ष का विस्तार प्रदान किया। 10 जून 2017 तक परियोजना के पूर्ण न होने पर, कंपनी ने आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया (जनवरी 2018)। आबंटी ने प्लॉट के पुनरारंभ के नोटिस के विरुद्ध यह कहते हुए प्रतिनिधित्व किया (जनवरी 2018) कि उनकी परियोजना को अब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जी.आर.आई.एच.ए.) द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया गया था और परियोजना में 90 प्रतिशत से अधिक भवन पूरा हो चुका था। उन्होंने दो साल और बढ़ाने की मांग की। कंपनी ने भवन में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मानदंडों को अपनाने और

¹ मैसर्स ब्रह्मा सेंटर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

² प्लॉट की बहाली के मामले में, आबंटी जमा की गई राशि की वापसी का हकदार होगा, बशर्ते कि बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि को जब्त कर लिया जाए।

आबंटी द्वारा लागू विस्तार फीस के भुगतान का संदर्भ देते हुए निर्माण पूरा करने के लिए दो वर्ष का विस्तार (10 जून 2019 तक) प्रदान किया (मार्च 2018)। परियोजना को पूर्ण करने की समयावधि में दो वर्ष का विस्तार प्रदान करना अनियमित था क्योंकि (i) यह संपदा प्रबंधन प्रक्रिया (पैराग्राफ 18.6 (i)(बी)) के प्रावधानों से बाहर थी; और (ii) ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के अंतर्गत प्रमाणन वैकल्पिक था तथा इसमें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट रेटिंग के अनुसार तीन प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक एक स्टार से पांच स्टार तक अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात शामिल था। इसके अलावा, विस्तार प्रदान करने से पहले 90 प्रतिशत से अधिक संरचनाओं के निर्माण को पूरा करने के आबंटी के दावों का कंपनी द्वारा सत्यापन अभिलेख में नहीं था। कंपनी ने 11 जून 2017 से 10 जून 2018 की अवधि के लिए ₹ 60 प्रति वर्ग मीटर तथा 11 जून 2018 से 10 जून 2019 की अवधि के लिए ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 18.7 से लागू विस्तार फीस प्राप्त की।

10 जून 2019 को विस्तार अवधि समाप्त होने पर, आबंटी ने कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमत समय अवधि में विस्तार हेतु पुनःअनुरोध किया (जून 2019, मार्च 2020 और जुलाई 2020)। निदेशक मंडल ने ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर (10 जून 2019 से 9 जून 2020 तक) की दर पर और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए आबंटन मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर विस्तार फीस के भुगतान के अधीन जून 2022 तक पूर्णता अवधि में विस्तार देने का निर्णय लिया (मार्च 2021)।

आबंटी की अपील पर निदेशक मंडल ने उद्ग्राह्य विस्तार फीस की राशि पर पुनर्विचार किया (जुलाई 2021) और इसे सभी आबंटियों को दी गई सामान्य विस्तार अवधि के रूप में मानते हुए 10 जून 2020 से 09 जून 2021 के लिए कोई विस्तार फीस नहीं लेने का निर्णय लिया और 10 जून 2021 से 09 जून 2022 के लिए ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से विस्तार फीस प्रभारित की। इस प्रकार 10 जून 2019 से 09 जून 2022 की अवधि हेतु परिकल्पित विस्तार फीस ₹ 58.76 करोड़ से घटकर मात्र ₹ 0.99 करोड़ रह गई। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के निबंधन एवं शर्तों से परे परियोजना को पूर्ण करने के लिए विस्तार देना, महत्वपूर्ण विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना आबंटी को ₹ 57.77 करोड़ से अधिक का लाभ प्रदान करने के समान था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022) प्रबंधन ने बताया कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 के आधार पर प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्धारित सात वर्ष की अवधि के बजाय पांच वर्ष के विस्तार की अनुमति दी गई थी। आगे यह बताया गया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक ने संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 के अनुसार लागू विस्तार फीस पर आबंटी द्वारा भवन में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट को शामिल करने के आधार पर मौखिक आदेश पारित करते हुए दो वर्ष का विस्तार (10 जून 2019 तक) प्रदान किया (मार्च 2018)। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान तात्कालिक मामले में लागू नहीं थे क्योंकि आबंटन, प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अंतर्गत किया गया था तथा इस मामले में प्रस्ताव हेतु अनुरोध की निबंधन एवं शर्तें लागू थी। आगे, प्रबंध निदेशक कोई भी विस्तार प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं थे।

मामला सरकार तथा कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2022)।

सिफारिश: आबंटिती को अनुचित लाभ देने के लिए कंपनी को दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

3.2 जुर्माने का उद्ग्रहण न करना

कंपनी ने कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार ₹ 13.27 करोड़ की फीस/जुर्माने के उद्ग्रहण के बिना परियोजना को पूर्ण घोषित करने में आबंटिती को अनुचित लाभ पहुंचाया।

उच्च स्तरीय प्लॉट आबंटन समिति³ के अनुमोदन (दिसंबर 2010) पर नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित श्रेणी⁴ के अंतर्गत ₹ 60.02 करोड़ के निश्चित पूंजीगत निवेश के साथ औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए कंपनी ने औद्योगिक संपदा, कुंडली में आबंटिती 'ए'⁵ को ₹ 5,500 प्रति वर्ग मीटर की दर से 11,250 वर्ग मीटर का प्लॉट (संख्या 64) आबंटित किया (अप्रैल 2011)। कंपनी ने नामांकन के आधार पर ₹ 44.86 करोड़ के निश्चित पूंजीगत निवेश के साथ ₹ 7,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसी औद्योगिक एस्टेट में समान सेट वाले प्रमोटर्स के साथ अन्य आबंटिती 'बी'⁶ को 11,250 वर्ग मीटर का एक अन्य प्लॉट (नंबर 51) आबंटित किया (नवंबर 2012)। दोनों आबंटितियों के शेरधारक समान थे और दोनों प्लॉटों की पीछे की बाउंडरी साझा थी। कंपनी द्वारा अपनाए गए आबंटन तथा संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, आबंटितियों को कब्जे की पेशकश की तारीख से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के भीतर परियोजना (अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत) को आंशिक रूप से पूर्ण करना अपेक्षित था। आगे, प्रत्येक मामले में ₹ 30 करोड़ के न्यूनतम बेंचमार्क निवेश के अधीन छः वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक के निश्चित पूंजीगत निवेश को प्राप्त करने पर परियोजना को पूर्ण माना जाना था। संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 में निवेश मानदंडों को पूर्ण न करने के लिए वर्तमान आबंटन मूल्य के 15 से 35 प्रतिशत तक की फीस/जुर्माने⁷ का प्रावधान है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 07 नवंबर 2013 के आदेश के अंतर्गत आबंटिती 'बी' को आबंटिती 'ए' के साथ मिला दिया गया। तत्पश्चात, आबंटिती 'ए'⁸ ने कंपनी से अनुरोध किया (मई 2014) कि दोनों प्लॉटों के भौतिक समामेलन का आदेश दिया जाए क्योंकि अब वे

³ वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में और प्रबंध निदेशक एच.एस.आई.आई.डी.सी., प्रबंध निदेशक हरियाणा वित्तीय निगम और निदेशक उद्योग हरियाणा सदस्य के रूप में गठित। समिति वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत तथा प्रतिष्ठित परियोजना श्रेणियों के अंतर्गत प्लॉटों के आबंटन पर विचार करती है।

⁴ प्रतिष्ठित श्रेणी के अंतर्गत, आबंटिती को ₹ 30 करोड़ और उससे अधिक का निश्चित पूंजीगत निवेश करना अपेक्षित था।

⁵ मैसर्स के इंटरनेशनल लिमिटेड।

⁶ मैसर्स बोबके पॉलीमर्स एंड इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड।

⁷ ई.एम.पी.-2015 निवेश की प्राप्ति के आधार पर वर्तमान आबंटन मूल्य के 15 से 35 प्रतिशत तक की फीस/जुर्माने का प्रावधान करता है।

⁸ मैसर्स के इंटरनेशनल लिमिटेड।

एक ही इकाई से संबंधित हैं। कंपनी ने आबंटी 'ए' को यह बताते हुए अनंतिम मंजूरी दी (सितंबर 2014) कि समामेलित इकाई आबंटन/अनुबंध के सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करेगी और मूल आबंटियों के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध प्रस्तावित अंतरिती पर बाध्यकारी होंगे। सितंबर 2014 में कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना को मंजूरी दी गई थी। आबंटी 'ए' ने फरवरी 2015 (प्लॉट संख्या 64 पर) और जून 2018 (प्लॉट संख्या 51 पर) में दोनों प्लॉटों पर परियोजना को आंशिक रूप से पूर्ण किया।

बाद में, आबंटी 'ए' ने कंपनी से अपनी परियोजना की निश्चित निवेश लागत को ₹ 104.88 करोड़ से घटाकर ₹ 60.72 करोड़ (पहले प्लॉट के लिए: ₹ 30.08 करोड़ और दूसरे प्लॉट के लिए: ₹ 30.64 करोड़) करने का अनुरोध किया (अगस्त और सितंबर 2017), यह हवाला देते हुए कि आबंटन के समय उन्होंने आयातित मशीनरी के आधार पर पूंजीगत लागत का अनुमान लगाया लेकिन बाद में उद्योग में बहुत बदलाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में संशोधन हुआ।

कंपनी ने निवेश को ₹ 104.88 करोड़ से घटाकर ₹ 60.72 करोड़ करने का आदेश पारित किया (अक्टूबर 2017) और आगे दर्ज किया कि कंपनी ने दोनों आबंटियों के विलय की भी अनुमति दी थी। 02 सितंबर 2014 को कंपनी की मंजूरी के बाद दोनों प्लॉटों को मिला दिया गया था। इस प्रकार, दोनों प्लॉटों को एक ही प्रमोटर और एक ही परियोजना होने के कारण एक ही इकाई के रूप में जोड़ा गया था। आबंटी ने व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया (सितंबर 2014) और फरवरी 2015 में उत्पादन शुरू किया।

कंपनी ने दोनों प्लॉटों को एकल इकाई मानकर ₹ 60.69 करोड़ (प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय के कारण ₹ 2.56 करोड़ सहित) के कुल निवेश के आधार पर परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जारी किया (अप्रैल 2019) तथा आबंटन की शर्तों की अवहेलना करते हुए अनुमानित निवेश की प्राप्ति न होने पर किसी जुर्माने का उद्ग्रहण नहीं किया। इसलिए, आबंटी द्वारा किए गए ₹ 58.13 करोड़ के निवेश पर विचार करते हुए, जो प्रस्तावित निवेश (₹ 104.88 करोड़) का केवल 55.42 प्रतिशत है, संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के अनुसार जुर्माने की राशि ₹ 13.27 करोड़⁹ बनती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी द्वारा फीस/जुर्माने के उद्ग्रहण के बिना परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना उचित नहीं था क्योंकि कंपनी द्वारा आबंटित कंपनियों के समामेलन के लिए जारी अनंतिम अनुमोदन सशर्त था और अनंतिम अनुमोदन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, प्रस्तावित अंतरिती दो मूल आबंटियों के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ बाध्य था और कंपनी द्वारा कोई अंतिम अनुमोदन जारी नहीं किया गया था। आगे, कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन (02 सितंबर 2014) को परियोजना कार्यान्वयन उद्देश्य के लिए दोनों प्लॉटों के एकल इकाई के रूप में कार्रवाई के लिए

⁹ प्लॉटों का 22,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल X ₹ 5,900 प्रति वर्ग मीटर (2018-19 के लिए ₹ 23,600 प्रति वर्ग मीटर के आबंटन मूल्य का 25 प्रतिशत होने के कारण)। प्रस्तावित निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत तक के निवेश के लिए वर्तमान आबंटन मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर फीस/जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाना है।

अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि जोनिंग योजना बहुत सीमित उद्देश्य अर्थात् भवन योजना तैयार करने के लिए जारी की जाती है।

प्रबंधन ने तर्क दिया (नवंबर 2020) कि कंपनी द्वारा संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, दो प्लॉट सभी प्रयोजनों तथा मिलाए गए प्लॉटों पर एक परियोजना के कार्यान्वयन सहित उद्देश्यों के लिए एक प्लॉट बन जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आबंटी कंपनियों का समामेलन सशर्त था और अनंतिम अनुमोदन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, प्रस्तावित अंतरिती आबंटी के साथ पहले से निष्पादित अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ बाध्य था और संयुक्त जोनिंग योजना के अनुमोदन को शामिल निवेश के लिए एक इकाई के रूप में दोनों प्लॉटों पर कार्रवाई के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। आगे, कंपनी के हाल के दिनांक 03 फरवरी 2021 के कार्यालय आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि प्लॉट की क्लबिंग आबंटन के निबंधन एवं शर्तों पर कोई लाभ लेने के लिए आबंटी को पात्र नहीं बनाएगी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), प्रबंधन ने बताया कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावित निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक के न्यूनतम बेंचमार्क निवेश से ₹ 30 करोड़ के स्थिर पूंजीगत निवेश को प्राप्त करने पर परियोजना को पूर्ण माना जाना था। इस मामले में, आबंटी ने ₹ 60 करोड़ के निवेश का न्यूनतम मानदंड हासिल किया। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आबंटी ने ₹ 58.13 करोड़ का निवेश किया जो प्रस्तावित निवेश (₹ 104.88 करोड़) का केवल 55.42 प्रतिशत बनता है, इसलिए संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार जुर्माना उद्गृहीत किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, कंपनी ने संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 13.27 करोड़ की फीस/जुर्माना लगाए बिना परियोजना को पूर्ण घोषित करने में आबंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2022)।

3.3 अग्रिम आयकर के कम जमा होने के कारण परिहार्य ब्याज भार

कंपनी ने आय गणना तथा प्रकटीकरण मानकों को अपनाने में देरी की और ₹ 14.99 करोड़ का दंडात्मक ब्याज दिया। इस प्रक्रिया में इसे ₹ 4.05 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत वहन करनी पड़ी।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) आबंटियों को उनकी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए औद्योगिक प्लॉट आबंटित करती है, जिसकी लागत लागू ब्याज के साथ लंबी अवधि में किस्तों में वसूल की जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को आबंटियों से वसूली योग्य ब्याज को छोड़कर संचयी आधार पर रखा गया था, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया गया था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आय गणना और प्रकटीकरण मानकों को अधिसूचित किया (मार्च 2015) जिनके आधार पर ब्याज आय सहित राजस्व की गणना आयकर उद्देश्य के लिए संचयी आधार पर की जानी चाहिए। प्रारंभ में निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू आय गणना और प्रकटीकरण मानकों को निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी (सितंबर 2016) किया गया था। इसलिए, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आय गणना और प्रकटीकरण मानक लागू करने की आवश्यकता थी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अग्रिम कर की गणना तदनुसार की जानी थी और आयकर विभाग के पास जमा की जानी थी। तथापि, कंपनी ने अनुमानित लाभ में संचयी आधार पर ब्याज आय की गणना नहीं की और ₹ 136.28 करोड़ की कुल आय के साथ केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 24.47 करोड़ का अग्रिम कर जमा किया।

कंपनी ने नए आयकर प्रावधानों का संज्ञान अप्रैल 2018 में ही लिया तथा संचयी आधार पर ₹ 204.06 करोड़ की ब्याज आय जोड़कर लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर ₹ 285.43 करोड़ की अपनी आय का आकलन करते हुए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल की (अक्टूबर 2018)। कंपनी ने अब आयकर अधिनियम की धारा 234बी एवं 234सी के अंतर्गत ₹ 14.99 करोड़ के दंडात्मक ब्याज सहित ₹ 80.32 करोड़ के शेष कर का भुगतान किया (अक्टूबर 2018)।

अतः प्रथम दृष्टया आय गणना और प्रकटीकरण मानक के निबंधनों के आधार पर संचयी आधार पर प्लॉटों के आबंटियों से प्राप्त ब्याज आय को शामिल न करने के कारण, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 14.99 करोड़ का दंडात्मक ब्याज देना पड़ा। इस प्रक्रिया में, कंपनी को ₹ 4.05¹⁰ करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत को वहन करना पड़ा क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई दंडात्मक ब्याज दर अर्थात् 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कंपनी की उधार लागत अर्थात् 8.76 प्रतिशत प्रतिवर्ष से काफी अधिक थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2020) कि यदि कंपनी ने अपनी उधार ली गई निधियों में से वर्ष के दौरान कर का भुगतान किया होता, तो उसे उधार ली गई निधियों पर ब्याज लागत का भुगतान करना पड़ता। इस प्रकार, कर देयता में वृद्धि का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी की भारित औसत उधार लागत 2016-17 के दौरान 8.76 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि कंपनी ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए दंडात्मक ब्याज (₹ 14.99 करोड़) का भुगतान किया था, जो कि कंपनी की उधार लागत से बहुत अधिक था। कंपनी ने 2016-17 के दौरान ही आय गणना और प्रकटीकरण मानक को न अपनाने का कोई कारण नहीं बताया जब उसे संचयी आधार पर ब्याज आय पर विचार करके अग्रिम कर जमा करना अपेक्षित था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2022), प्रबंधन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अग्रिम कर जमा करने में देरी हुई क्योंकि एकीकृत गणना और प्रकटीकरण मानक के कार्यान्वयन के संबंध में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था तथा इस संबंध

¹⁰ ₹ 14.99 करोड़ तथा ₹ 10.94 करोड़ (₹ 14.99 करोड़ * 8.76/12 = ₹ 10.94 करोड़) का अंतर।

में अंतिम निर्णय नवंबर 2017 में दिया गया था। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा बनाए गए एकीकृत गणना और प्रकटीकरण मानक कंपनी पर लागू थे। वित्तीय निर्णय लेते समय, प्रबंधन को कंपनी की उधार लागत पर विचार करने की आवश्यकता थी जो अग्रिम कर जमा करने में देरी के कारण आयकर विभाग द्वारा प्रभारित ब्याज दर से कम थी।

मामला सरकार तथा कंपनी के पास भेजा गया था (दिसंबर 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2022)।

